न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –58 / 2024

अनवान

सरोज बाई पुत्री रूपलाल पत्नी ललित कुमार, जाति कश्यप (भोई), उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी लाडपुरा कोटा हाल देवपुरिया, पटवार हल्का सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मो.नं. 8769678202

–प्रार्थीया

बनाम

जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
पेराकार सरकार।

निर्णय दिनांक 19.03.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ है कि प्रार्थिया के नाम ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का सणीता की वर्तमान जमाबंदी अनुसार कृषि आराजी सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी खाता संख्या 11, खसरा संख्या 119, 120, 57, 58, 60, 61, 62 कुल किता 07 रकबा 3.56 हैक्टेयर लगानी 20.88 पैसे है तथा मुझ प्रार्थिया का नाम आराजी में भूली बाई पुत्री रूपलाल हिस्सा 1/30 है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत का इंतकाल खोले जाते समय प्रार्थीया का निकनेम भूली बाई लिख दिया गया जबकि प्रार्थिया के समस्त दस्तावेजों आधारकार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाते, वोटर आई0डी0, आदि में असल नाम सरोज बाई ही है जबकि पटवरी जी द्वारा भूलवश मेरे घर का बोलता नाम भूली बाई लिखा जाने से मुझे काफी दिक्कत हो रही है। मुझ प्रार्थीया द्वारा किसान सम्मान निधि फार्म भरते समय जानकारी में आया कि जमाबंदी में नाम में त्रुटि है, जानकारी में आते ही श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरिया प0ह0 सणीता तहसील रावतभाटा की वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम भूली बाई पुत्री रूपलाल के स्थान पर सरोज बाई पुत्री रूपलाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नही होने का निवेदन कर जवाब देने से इन्कार किया गया। पेरोकार सरकार का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का सणीता की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खाता संख्या 11, खसरा संख्या 119, 120, 57, 58, 60, 61, 62 कुल किता 07 रकबा 3.56 हैक्टेयर में प्रार्थीया के भूली बाई पुत्री रूपलाल दर्ज है, जबकि प्रार्थीया का निकनेम भूली बाई है, प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत का इंतकाल खोले जाते समय प्रार्थीया का निकनेम भूली बाई लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया का असल नाम सरोज बाई होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का नाम भूली बाई के स्थान पर सरोज बाई करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना [illegible] स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरिया व प0ह0 सणीता की जमाबंदी सम्वत 2076 –79 के [illegible] 11, खसरा संख्या 119, 120, 57, 58, 60, 61, 62 कुल किता 07 [illegible] भूली बाई के स्थान पर सरोज बाई दर्ज करने की इन्द्राज [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:52 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner